



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) - U 40109RJ2000SGC016483
रजि. कार्यालय : न्यू पॉवर हाऊस, जोधपुर-342003
फ़ोन नं. : 0291-2742367 : फ़ैक्स नं. - 0291-2742367
ई.मेल - ddpjod@gmail.com वेब-साइट : www.jedcl.com

क्रमांक : जोविनिनि.लि./प्र.नि/जो./अनु. कार्मिक/प. /का.आ.93/प्रे. 604 दिनांक 05/02/18

आदेश

विद्युत जनित दुर्घटनाएं विभाग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है चाहे वे कर्मचारी की हों अथवा आमजन या पशुओं की। समय-समय पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनवरत प्रयास किए जाते रहे हैं जिसमें कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यप्रणाली हेतु उत्तम गुणवत्ता के सुरक्षा उपकरणों का वितरण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना सम्मिलित है जिसके फलस्वरूप विद्युत दुर्घटनाओं में कमी तो आई है तथापि "शून्य दुर्घटना लक्ष्य" प्राप्ति हेतु और भी समग्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अतः विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि उसके द्वारा प्रपत्र-अ में उल्लेखित शपथ ले ली गई है।
2. कर्मचारी कार्य करने से पूर्व सुरक्षा उपकरणों की अपने पास उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने पर ही कार्य प्रारम्भ करें। अगर कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है तो इस बारे में तुरंत सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता/लाइन पार्टी इन्चार्ज को आवश्यक रूप से अवगत करावे। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न होने की स्थिति में कर्मचारी द्वारा विद्युत तंत्र पर कोई कार्य नहीं किया जावे साथ ही नियंत्रक अधिकारी द्वारा भी सुरक्षा उपकरणों के अभाव में उसे कार्य हेतु आदेशित नहीं किया जावे।
3. तकनीकी कर्मचारी निर्धारित वर्दी पहन कर ही विद्युत तंत्र पर कार्य सम्पादित करें।
4. विद्युत लाइनों व उपकरणों पर कार्य करने से पूर्व लिखित शट डाउन लेकर कार्य करने की अनुमति (Permit to Work) प्राप्त करें। यदि दो तरफ से विद्युत प्रवाह (बैक फीड) है तो विद्युत प्रवाह दोनों तरफ से बंद करवाने व अर्थिंग करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करें। कार्य समाप्ति के उपरान्त पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कि कोई व्यक्ति लाइन पर कार्य नहीं कर रहा है व अर्थिंग हटा दी गई है, 'Permit to Work' वापस करें।
5. जिस लाइन पर काम किया जाना है उसके ऊपर से यदि अन्य 33/11 केवी व एल.टी. लाइन क्रॉसिंग हो रही हो, तो उसका भी शटडाउन लेवे या उससे पूर्ण सुरक्षा (दोनों ओर से लाइन अर्थ करना) सुनिश्चित करें।

6. शट डाउन दिए जाने के साथ ही सब स्टेशन पर उपस्थित कर्मचारी लॉग शीट में समय, कारण, लेने वाले का नाम मय पद एवं हस्ताक्षर का इन्द्राज करे तथा सम्बन्धित लाईन पर "Shut Down" की तख्ती लगावे। यदि एक फीडर पर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शट डाउन लिया है तो उतनी ही शट डाउन प्लेट लगावें।
7. यह अवश्य देख लेवे कि लाईन बंद करवाने के बाद जिस सैक्शन पर कार्य करना है, उसे दोनो तरफ से अस्थायी अर्थ कर दिया गया है उसके उपरान्त ही काम शुरू करे। जिस स्थान से शट डाउन लिया है वहां पर व कार्य के स्थान से एक स्पान पहले अस्थायी अर्थ संबन्धित कर्मचारी द्वारा किया जावे और कार्य पूरा होने पर उसी के द्वारा अस्थायी अर्थ हटाया जाये। एक फेज पर कार्य करना हो तो भी तीनों फेज के तारों को अस्थायी अर्थ से जोडना चाहिए। एल.टी. लाईन के न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाना चाहिए।
8. विद्युत लाईनों को डिस्चार्ज ऑपरेटिंग/अर्थिंग रोड से ही करे।
9. जी.ओ. (आइसोलेटिंग स्वीच) काटने के पश्चात यह जांच कर सुनिश्चित कर लें कि इसकी सभी ब्लेडों में विद्युत विच्छेद हो गया है अथवा नहीं तथा लाइव पार्ट से ब्लेड की दूरी उपयुक्त है।
10. नंगे हाथों से कभी भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए और ना ही हटाना चाहिए। हमेशा रबड़ के दस्ताने एवं अन्य स्वीकृत सुरक्षात्मक उपकरण काम में लेने चाहिए।
11. शहरी क्षेत्र में 11 केवी लाईन का शट डाउन केवल कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अनुमोदन पर ही दिया जाए। केवल अधिकृत श्रमिक ही विद्युत लाईन पर कार्य करे।
12. खम्भे पर सीढी की मदद से चढ़ें। सीढी लकड़ी या इन्सुलेटेड मैटेरियल की बनी होनी चाहिए। सीढी खम्भे पर लगाते समय यह ध्यान रखें कि सीढी की जगह फिसलने वाली न हो अथवा अन्य कामगार द्वारा उसको पकडकर रखा जाये।
13. जिन खम्भों पर डबल करंट उपलब्ध है वहां पर रिफ्लेक्टर कलर से डबल करंट की चेतावनी लिखी जाए।
14. तकनीकी कर्मचारी निर्धारित कार्य निष्पादन के दौरान किसी आमजन का सहयोग लेने जैसे अनुचित व्यवहार से दूर रहें। ऐसा पाया जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए तथा उपभोक्ता/आमजन की दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली मुआवजे की राशि भी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल की जावे।
15. संबन्धित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता प्रत्येक 33/11 केवी सब स्टेशन पर तकनीकी कर्मचारियों को कार्य में प्रयोग हेतु सुरक्षा उपकरण यथा अर्थिंग चैन, लाइफ रेसीटेटर, रिचार्जबल टार्च, पाइप रिच, रबड़ के दस्ताने, इन्सुलेटेड प्लायर, स्क्रू

ड्राइवर, फर्स्ट एड बॉक्स, रबड़ शीट, सेफ्टी बेल्ट इत्यादि की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों द्वारा इन सुरक्षा साधनों का भलीभांति उपयोग किया जा रहा है एवं सुरक्षा निर्देशों की भी पालना की जा रही है। ऐसा नहीं पाए जाने पर दोषी कर्मचारी को तुरंत निलम्बित किया जावे। यदि कोई कर्मचारी आदतन इस प्रकार की अवहेलना का दोषी पाया जाए तो उसे सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही करें।

ठेकेदार द्वारा संचालित किये जा रहे 33/11 केवी सब स्टेशनों पर भी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं सुरक्षा निर्देशों की पालना उपरोक्त प्रकार सुनिश्चित की जादेगी।

निरीक्षण व्यवस्था :-

1. निम्न सारणी अनुसार अधिकारियों द्वारा 33/11 केवी सब स्टेशन एवं अन्य कार्यस्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा:-

अधिकारी का नाम	निरीक्षण कार्यक्रम
मुख्य अभियन्ता	एक माह में एक सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
अधीक्षण अभियन्ता	एक माह में दो सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
अधिशोषी अभियन्ता	एक माह में चार सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
सुरक्षा एवं प्रशिक्षण शाखा के अधिकारी	एक माह में बारह सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल

2. निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारियों द्वारा यह देखा जाएगा कि:-
 - I. सब स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान इनका प्रयोग किया जा रहा है।
 - II. सभी उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं।
 - III. अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं।
 - IV. प्रत्येक सब स्टेशन पर लोग शीट जिसमें शट डाउन व कर्मचारियों की उपस्थिति का पूर्ण विवरण अंकित हो संधारित की जा रही है।
 - V. सभी कर्मचारियों द्वारा "Permit to work" एवं शट डाउन तथा लाईन की अर्थिंग संबंधी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है।
3. प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-ब में निरीक्षण प्रतिवेदन स्वयं के हस्ताक्षर से भरा जाएगा एवं इसकी एक प्रति संबंधित सहायक अभियन्ता को कमियों के निराकरण हेतु अविलम्ब भेजी जाएगी। प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति वृत्त कार्मिक अधिकारी को भी प्रेषित की जाएगी जिसके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में बताई गई कमियों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रति माह विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, बताई गई कमियों एवं उनके निराकरण

हेतु किये गये प्रयासों की रिपोर्ट अग्रिम माह की 5 तारीख तक उप निदेशक कार्मिक (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रपत्र-स में प्रेषित की जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

संलग्न: यथावर्णित।

aw
(आरती डोगरा)
प्रबन्ध निदेशक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य/अति./उप मुख्य अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी (), जोधपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,
8. उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी (), जोधपुर डिस्कॉम,
9. वरि. लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (), जोधपुर डिस्कॉम,
10. सहायक अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम, को यह निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को उपलब्ध कर मौखिक रूप से भी समझायें।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

28
5-2-18
(आर. डी. बारठ)
सचिव (प्रशासन)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

शपथ

मैं _____ पुत्र श्री _____
 पद _____ यह शपथ लेता हूँ कि मैं कार्य करते समय
 निम्नलिखित सुरक्षा नियमों का आवश्यक रूप से ध्यान रखूंगा:-

1. जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ लाईन सही प्रकार से बन्द करूँगा अथवा शट-डाउन लूँगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् समस्त कर्मचारियों को हटाकर शट-डाउन वापिस करूँगा अथवा लाइन चालू करूँगा।
2. कार्य शुरू करने से पूर्व लाईन को जहाँ से बन्द की है, अर्थ करूँगा तथा जहाँ कार्य करूँगा वहाँ पहले लाईन पर अस्थाई अर्थ करूँगा।
3. समस्त उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करूँगा।
4. मेरे अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी सुरक्षा नियमों का पालन करवाऊँगा।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नोट:-

कर्मचारी के अनपढ़ होने की स्थिति में

मैंने उपरोक्त शपथ ध्यानपूर्वक सुन ली है तथा मैं इसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा।

पढ़कर सुनाने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर _____ कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रतिलिपि

अधिसाषी/सहायक अभियन्ता (_____)
 जयपुर डिस्कॉम, _____

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

33/11 KV Sub-Station/Work Place Inspection Report Regarding Safety Measures					
Name of Sub-Station/Place :-		Name of Sub-Office :-		Date:-	
Name of Sub-Division :-		Name of Circle :-			
The detail of Safety Equipments			Testing of Equipments		
At Sub-Station					
Equipments	To be available	Available	Short	ACTIVITY OF TEST	YES/NO
	Nos.	Nos.	Nos.		
Earthing chain	2			Oil top up of Transformer	
Life Resuscitator	1				
Re Chargeable Torch	1			Right way to approach to 33/11 KV S/s	
Pipe Rinch	1			G.O. Work is proper or Not	
Hand Gloves (Pair)	2 Pair			D.O. Work is proper or Not	
Insulated Pliar	1			Breaker work is proper or Not	
Screw Driver	1				
Spanner Set	1			Name of each Feeder in yard written or not	
AC Voltage Detector	1			On Shut Down plate proper feeder name is written or Not	
Discharge Rod	1			Details of facilities available	
Wooden Ladder	6			FACILITY	YES/NO
First Aid Box	1			Boundary Wall	
Fire Extinguisher	1			Rooms	
Soil Bucket	3			Water (Boring)	
Rubber Sheet	01 No. Per Feeder			Light (Yard)	
(i) 11 KV				Toilet	
(ii) 33 KV				Gravelling	
Safety Belt	1			Yard Cleaning	
Tool Box	1			Furniture (Chair, Table and Stool Bench)	
				Work Place Inspection	
				INSPECTION	YES/NO
				PTW taken	
				Both side earthing	
				Shut down & earthing of crossing line	
				Availability of sefty devices	
				Use of safety devices by workers	
Remark					

Name & Designation of Inspecting Office

Details of inspection of 33/11 KV sub-stations/other work places

Name of Circle _____
 Reporting month _____

Name of Inspecting Officer	No. of inspection carried out		No. of deficiency / shortcoming pointed out		No. of deficiencies rectified		No. of employees	
	Sub-station	Other places	Sub-station	Other places	Sub-station	Other places	Suspended	Terminated
Chief Engineer								
Superintending Engineer								
Executive Engineer ()								
Safety & training Team								

Personal Officer ()
 JVVNL, _____